संख्या-38/2021/458 /71-3-2021-एन0एम0-11/2019टीसी

प्रेषक,

अनिल कुमार,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रधानाचार्य,
स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय,
फिरोजाबाद।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 **लखनऊ : दिनॉक 23 मार्च, 2021**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2020-21 में स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद हेतु उपकरणों के क्रय हेतु वित्तीय स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एफजैडडी/2020/3387, दिनांक 30.12.2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद हेतु उपकरणों की सूची उपलब्ध कराते हुए वित्तीय स्वीकृति अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद हेतु उपकरणों की सूची (संलग्नानुसार) अनुमोदित करते हुए वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत मानक मद 26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयत्र मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष अवशेष धनराशि **रू0 470.00 लाख (रूपये चार करोड़ सत्तर लाख मात्र)** की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

1. स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद हेतु उपलब्ध करायी गयी उपकरणों की सूची के क्रमांक-11, 27, 31 एंव 51 में उल्लिखित उपकरण की लागत रू0 25.00 लाख या इससे अधिक है। अतः सोसायटी बायलॉज के प्रस्तर-24 में प्राविधानित व्यवस्था के क्रम में उक्त उपकरणों का क्रय उच्च स्तरीय क्रय समिति के अनुमोदनोपरान्त किया जायेगा। शेष उपकरणों का क्रय पारदर्शी टेण्डर व्यवस्था, जी0एफ0आर0 के प्राविधानों के अंतर्गत प्रधानाचार्य के माध्यम से किया जायेगा।
2. प्रश्नगत उपकरणों का क्रय एम0सी0आई0 के मानकों के अनुरूप किया जायेगा तथा प्रश्नगत उपकरणों के मानक व गुणवत्ता की जिम्मेदारी प्रधानाचार्य की होगी।
3. डुप्लीकेसी से बचने हेतु उपकरण क्रय करने से पूर्व सत्यापित करा लिया जाय। यह सुनिश्चित किया जाय कि उपकरण की वास्तविक रूप से आवश्यकता है।
4. यह भी सुनिश्चित कर लिया जाए कि प्रश्नगत उपकरण की स्थापना हेतु स्थान, भवन आदि उपलब्ध है तथा संचालन हेतु मानव संसाधन उपलब्ध है।
5. स्वीकृत धनराशि से उन्हीं उपकरणों का क्रय किया जायेगा जिसके स्पेसिफिकेशन उपलब्ध हो।
6. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण तभी किया जायेगा, जब उपकरण क्रय सम्बन्धी समस्त औपचारिकतायें की पूर्ति कर ली जाए।
7. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण कोषागार से वास्तविक आवश्यकतानुसार तभी किया जायेगा, जबकि उपकरणों के क्रय की सम्पूर्ण प्रक्रिया पूर्ण हो जाए। स्वीकृत की जा रही धनराशि पी0एल0ए0/बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी।
8. उपकरणों के क्रय में 05 वर्ष की वारण्टी/ सी0एम0सी0/ई-प्रोक्योरमेन्ट में इस बिन्दु को अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाय।
9. उपकरण/संयत्र के क्रय में सुसंगत वित्तीय नियमों, उ0प्र0 प्रोक्योरमेन्ट मैनुअल (प्रोक्योरमेन्ट आफ गुड्स) 2016 के प्राविधानों तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग द्वारा निर्गत ई-टेण्डर/ई-प्रोक्योरमेन्ट/गवर्मेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल से सम्बन्धित शासनादेशों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

10. उपकरणों के क्रय हेतु शासनादेश संख्या-4090/71-1-2017-जी-243/2017, दिनांक 29.12.2017 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जायेगा।
11. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा इसका उपयोग उन्हीं कार्य/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किसी अन्य कार्य/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
12. स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एकमुश्त नहीं किया जायेगा, अपितु आवश्यकतानुसार किया जायेगा। अवमुक्त धनराशि का आहरित कर पी0एल0ए0/बैंक खातें आदि में नहीं रखा जायेगा।
13. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग सुसंगत वित्तीय नियमों एवं समय-समय पर जारी किये गये शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।
14. सुसंगत नियमों और प्राविधानों का पालन करते हुए पारदर्शी प्रकिया के अनुसार विहित प्रकिया का पालन करते हुए उपयोगी उपकरण क्रय किया जायेगा। क्रय की जाने वाली सामग्री की विशिष्टियों, गुणवत्ता व ऑडिट आदि की जिम्मेदारी क्रय करने वाली संस्था की होगी।
15. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनॉक 24-03-2020 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- उक्त पर होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-31 के अधीन लेखाशीर्षक "4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूंजीगत परिव्यय-03-चिकित्सा, शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान-105-एलोपैथी-82-मेडिकल कालेज, फिरोजाबाद-26-मशीनें और सज्जा/उपकरण और संयंत्र" के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनॉक 24 मार्च, 2020 में प्रतिनिहित अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।

संख्या:-38/2021/458(1)/71-3-2021, तद्यदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
3. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
4. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वित्त नियंत्रक, स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, फिरोजाबाद।
7. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शासनादेश संख्या-38 /2021/458/71-3-2021-एन0एम0-11/2019टीसी, दिनांक 23 मार्च, 2021 का संलग्नक:-

स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, फिरोजाबाद-

S. No.	Name of Department	Name of Item	Required Quantity	Rate per Unit	Amount
1	Community Medicine	Harpender Calipers (For skinfold thickness)	2	40000	80000
2	Community Medicine	Refrigerator 9 Cu.ft.	5	100000	500000
3	Community Medicine	Multimedia Projector with Screen	2	100000	200000
4	Community Medicine	Stethoscope	10	10000	100000
5	Pharmacology	Nebulizer machine	10	5000	50000
6	Pharmacology	Life Like Multi Venous Training Manikin for Drug Administration	10	48500	485000
7	Pharmacology	Life Like Deltold Training Manikin for Drugs Administration	10	8950	89500
8	Pharmacology	Life Like Manikin for Gluteal Intra Muscles Training for Drug Administration	10	56500	565000
9	Pharmacology	Skin and Rectal Thermometer Barun	10	1200	12000
10	Pharmacology	Stethoscope (Littman)	10	6500	65000
11	Pharmacology	Computers	25	100000	2500000
12	Pharmacology	Projector and Screen	1	100000	100000
13	Pharmacology	Animals Simuilator software 01 for pharmacology klab (for 25 computers)	1	250000	250000
14	Pharmacology	Incubators	1	35000	35000
15	Pharmacology	Refrigerators	2	40000	80000
16	Pharmacology	Centrifuge	1	25000	25000
17	Pharmacology	Kymograph Student Electric Independent Unit	2	6500	13000
18	Pharmacology	Electrocardiograph Machine	1	45000	45000
19	Pharmacology	Deionizer two of capacity 20 liters per hour and 6 liters per hour mixed bed type connected in series	1	12000	12000
20	Pharmacology	Four Unit Isolation Organ Bath	2	15000	30000
21	Pharmacology	Analgesiometer	1	5000	5000
22	Pharmacology	Drug Specimen Jar	30	300	9000
23	Pharmacology	Eddy's/Electric Hot Plate	1	8500	8500
24	Pharmacology	Electric Convulsiometer	1	10000	10000
25	Pharmacology	Cook's Pole Climbing Apparatus	1	10000	10000
26	Microbiology	Biosafety Cabinet-2A	2	500000	1000000
27	Microbiology	Automated Blood Culture System	1	4000000	4000000
28	Blood Bank	Ultra Deep Freezer -40^{0}C	1	1000000	1000000
29	Blood Bank	Kit Refrigerator 2-4^{0}C	1	700000	700000
30	Blood Bank	Rh View Box	1	25000	25000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

S. No.	Name of Department	Name of Item	Required Quantity	Rate per Unit	Amount
31	TB & Chest	Video Bronchoscope	1	2500000	2500000
32	TB & Chest	PFT Machine	1	800000	800000
33	Pathology	Fully Automated Microtome	1	2000000	2000000
34	Pathology	Faculty Microscope	4	60000	240000
35	Pathology	Trinometer Microscope with Camera Attachment	1	300000	300000
36	Pathology	Miscellaneous Glassware/ Specimen Jar		500000	500000
37	Pathology	Cyto Centrifuge		1000000	1000000
38	Pathology	Grossing Station	1	1500000	1500000
39	Pathology	Slide Cabinet	2	25000	50000
40	Otorhinolaryngology	Nasal Endoscope 0 degree 4mm	1	1000000	1000000
41	Paediatrics	Defibrillator	1	600000	600000
42	Paediatrics	ECG Machine 12 Channel	1	100000	100000
43	Paediatrics	Portable USG Machine	1	2000000	2000000
44	Obs & Gynae	Myomectomy Instruments (Myoma Screw, Boney's Clamp)	2	90000	180000
45	Obs & Gynae	Operation Laparoscopy set inscluding one HD Camera with all accessories & handinstruments	1	4500000	4500000
46	Obs & Gynae	Set for LSCS	2	100000	200000
47	Obs & Gynae	Cervical Exploration Set	2	55000	110000
48	Ophthalmology	Slit Lamp (Imported)	1	200000	200000
49	Ophthalmology	Auto Refrectrometer with Keratometer (Imported)	1	400000	400000
50	Ophthalmology	Cataract Sets (Instruments)	4	25000	100000
51	Anaesthesia	Anaesthesia Machine	2	4000000	8000000
52	Anaesthesia	CPR Maniquin	1	48000	48000
53	Anaesthesia	Airway Maniquin	1	350000	350000
54	Dental	Dental Chair	1	500000	500000
55	Dental	Ultrasonic Scaler	1	7000	7000
56	Dental	CO2 Laser	1	500000	500000
57	Dental	Soft Tissue Diode Dental Laser	1	250000	250000

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

58	Dental	Vista Scan	1	70000	70000
59	Dental	Radio Visiography (RVG)	1	200000	200000
60	Dental	Dental Instruments Set (Impaction Kit, Minor Oral Surgery Kit, Bone Plating Kit, Bone Grafting Kit, Micro Motor Drill System etc.,	1	500000	500000
Total **(Four Crore Seven Lac Nine Thousand Only)**					**40709000/-**

(अनिल कुमार)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।